संख्याः 54 भू0क्रय/18(2)/2007

प्रेषक,

एन0एस0नपलच्याल,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

जिलाधिकारी,
उधमसिंहनगर।

राजस्व विभाग

देहरादूनः दिनांकः 15 मई, 2008

विषयः– सोशल वैलफेयर एण्ड एजूकेशनल सोसाइटी को श्रीराम इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमैन्ट एण्ड टैक्नोलोजी की स्थापना हेतु जनपद उधमसिंहनगर की तहसील काशीपुर के ग्राम लक्ष्मीपुर लच्छी में कुल 2.153 है0 भूमि क्रय करने की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या– 118/सात–स0भू0अ0/2007 दिनांक 22 अगस्त, 2007 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय सोशल वैलफेयर एण्ड एजूकेशनल सोसाइटी को उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2003 दिनांक 15–1–2004 की धारा–154(4)(3)(क)(III) के अन्तर्गत श्रीराम इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमैन्ट एण्ड टैक्नोलोजी की स्थापना हेतु जनपद उधमसिंहनगर की तहसील काशीपुर के ग्राम लक्ष्मीपुर लच्छी के खाता सं0– 74 में खसरा नं0–176 मि0 रकबा 0.569 है0 व खाता सं0 97 खतौनी नं0 177 मि0 रकबा 1.584 है0 कुल 2.153 है0 भूमि क्रय करने की अनुमति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ प्रदान करते हैं:–

1– क्रेता धारा–129–ख के अधीन विशेष श्रेणी का भूमिधर बना रहेगा और ऐसा भूमिधर भविष्य में केवल राज्य सरकार या जिले के कलैक्टर, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति से ही भूमि क्रय करने के लिये अर्ह होगा।

2– क्रेता बैंक या वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिये अपनी भूमि बन्धक या दृष्टि बन्धित कर सकेगा तथा धारा–129 के अन्तर्गत भूमिधरी अधिकारों से प्राप्त होने वाले अन्य लाभों को भी ग्रहण कर सकेगा।

3– क्रेता द्वारा क्रय की गई भूमि का उपयोग दो [illegible] की अवधि के अन्दर, जिसकी गणना भूमि के विक्रय विलेख के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उसके बाद ऐसी अवधि के अन्दर जिसको राज्य सरकार द्वारा ऐसे कारणों से जिन्हें लिखित रूप में अभिलिखित किया जायेगा, उसी प्रयोजन के लिये करेगा जिसके लिये अनुज्ञा प्रदान की गई है। यदि वह

.....(2)

ऐसा नहीं करता अथवा उस भूमि का उपयोग जिसके लिये उसे स्वीकृत किया गया था, उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु करता है अथवा जिस प्रयोजनार्थ क्रय किया गया था उससे भिन्न प्रयोजन के लिये विक्रय, उपहार या अन्यथा भूमि का अन्तरण करता है तो ऐसा अन्तरण उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा और धारा-167 के परिणाम लागू होंगे।

4- जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी अनुसूचित जनजाति के न हों और अनुसूचित जाति के भूमिधर होने की स्थिति में भूमि क्रय से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी से नियमानुसार अनुमति प्राप्त की जायेगी तथा ऐसे प्रत्येक प्रकरण को आवश्यकता पड़ने पर जिलाधिकारी स्वयं स्पष्ट आदेश से निरस्तारित कर ही भूमि अन्तरण के आदेश करेंगे।

5- जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर न हों।

6- शासन द्वारा दी गयी भूमि क्रय की अनुमति शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 180 दिन तक वैध रहेगी। क्रेता द्वारा 180 दिन के भीतर प्रस्तावित स्थल पर निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाना होगा।

7- संस्था द्वारा भूमि भूमि के विक्रय विलेख के पंजीकरण की तिथि से दो वर्ष के भीतर भूमि का उपयोग तकनीकी संस्थान की स्थापना हेतु कर लिया जायेगा।

8- संस्था द्वारा भूमि के विक्रय विलेख की पंजीकरण की तिथि से एक वर्ष के भीतर तकनीकी संस्थान की स्थापना हेतु नियमानुसार एआईसीटीई को आवेदन कर दिया जायेगा। जिसकी एक प्रति तकनीकी शिक्षा विभाग उत्तराखण्ड शासन को भी उपलब्ध करायी जायेगी।

9- क्रय की जा रही भूमि पर उतने ही तकनीकी पाठ्यक्रम संचालित किये जायेंगे जितने एआईसीटीई के मानकानुसार अनुमन्य है।

10- उत्तराखण्ड मूल के बेरोजगारों को न्यूनतम 70 प्रतिशत रोजगार नियमित रूप से उपलब्ध कराया जायेगा।

11- किसी दशा में प्रस्तावित क्रेताओं को प्रस्तावित भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि के उपयोग की अनुमति नहीं होगी एवं सार्वजनिक उपयोग की भूमि या अन्य भूमि पर कब्जा न हो इसके लिए भूमि क्रय के तत्काल बाद उसका सीमांकन कर लिया जाये।

.....(3)

12- भूमि का विक्रय अपरिहार्य परिस्थितियों के अतिरिक्त अन्यान्य नहीं होगा एवं ऐसी दशा में विक्रय किये जाने हेतु सकारण शासन का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

13- नियमानुसार योजना प्रारम्भ करने से पूर्व सम्बन्धित विभागों/ संस्थाओं से विधिक व अन्य औपचारिकतायें/ अनापत्तियाँ प्राप्त कर ली जायेंगी।

14- उपरोक्त शर्तों/प्रतिबन्धों का उल्लंघन होने पर अथवा किसी अन्य कारणों से, जिसे शासन उचित समझता हो, प्रश्नगत स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।

कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एन0एस0नपलच्याल)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून
2- सचिव, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3- सचिव, श्रम एवं सेवायोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन
4- सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तराखण्ड शासन ।
5- आयुक्त, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
6- श्री रवीन्द्र कुमार, अध्यक्ष, सोशल वैलफेयर एण्ड एजूकेशनल सोसाइटी, 75, आवास विकास, तहसील काशीपुर जिला उधमसिंहनगर।
7- निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, सचिवालय।
8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सन्तोष गंडोनी)
अनुसचिव।